न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–40 सन् 2018

शैल कुमारी देवी व अन्य................वादिनी

बनाम

छत्रबली राय व अन्य............................प्रतिवादी

दिनांक– 09.02.2022

प्रतिवादी की ओर से हाजिरी दी गई। आज अभिलेख वादीगण की ओर से अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 13.08.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादीगण का आवेदन में कथन है कि वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध दाखिल कर निवेदन किया है कि निर्णित कर दिया जाए कि विवादित भूमि मय दुकानात वो कमरा सिडियुल नं0 01 अर्जीनालिश वादीगण की हकियती दखली एराजी है। वादीगण ताजबरदस्ती, हरवे, हथियार से लैस होकर ईट, बालू, मिट्टी गिरा करके निर्माण कार्य कर रहे हैं तथा विवादित भूमि के स्वरूप को बदल रहे हैं। जिसमें बहुमूल्य साक्ष्य नष्ट होने की संभावना है। अतः यह आवश्यक है कि सिडियुल नं0 1 अर्जीनालिश का स्थानीय निरीक्षण कर विवादित भूमि की वर्तमान स्वरूप अभिलेख पर आना अत्यंत आवश्यक है ताकि बहुमूल्य साक्ष्य की रक्षा हो सके। अतः निवेदन है कि न्यायहित में अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त कर आवेदन में लिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मंगाने की आदेश दिया जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध दाखिल कर सिडियुल नं0 01 अर्जीनालिश की विवादित भूमि मय दुकानात वो कमरा पर हकियत की घोषणा हेतु दाखिल किया है। साथ ही न्यायालय से निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण को आदेश दिया जाए कि वादीगण दुकानात वो कमरा खाली करके वादीगण का दखल कब्जा करा दे तथा दुकानात वो कमरा में ताला लगा हो तो उसमें अवस्थित सभी समान हटाकर वादीगण का कब्जा कर दिया जाए। उपर्युक्त परिस्थिति में वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन पोषणीय है। विवादित संपत्ति पर वादीगण का आरोप है कि प्रतिवादीगण नया निर्माण ताजबरदस्ती कर रहे हैं और उसके भौतिक स्वरूप को बदल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त किया जाना विवादित स्थल के संदर्भ में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि से स्थानीय निरीक्षण हेतु अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 2500/—रूपया नजारत में जमा करें।

वाद दिनांक 23.02.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।